पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है, पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

24/7/24 वकील प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31/07/2024 को पेश हो।

31/07/2024 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी थी, पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तहसीलदार, नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम गांवड़ी के भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 3.87 हैक्ट0 में प्रार्थी के पिता का नाम गीगाराम पुत्र बींजा दर्ज होना पाया जाता है। प्रार्थी गीगाराम के स्थान पर गिरधारीलाल सही शुद्ध नाम कराना चाहता है। नाम गलत होने में लिपिकिय त्रुटि किस स्तर पर हुयी है, प्रार्थी प्रमाणित करने में असफल रहा है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के मुताबिक भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती बाबत नही पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते रिकार्ड दुरूस्ती का होना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:27:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner